

अनुदान गुरुमेल विवेक/समविन्दु कार्य
यु.क.सं. 46/201/

5 वकील उद्योगकर्ता उद्योग/विकास प्रकल्प हेतु, वकीलवादी
द्वारा स्थापित-पंजाबी/पञ्जाबी वकील उद्योग प्रकल्प-22A-4(3)
के अन्तर्गत अन्तर्गत दिनांक 0710-25
कोष/ए. ए.

द्वारा संघ द्वारा कार्य स्थगन किया
गया है। पीठासीन अधिकारी अन्य
कार्य में व्यस्त हैं। पञ्जाबी पूर्वानुसार
दिनांक 0810-25 को पेश हो।

5 वकील उद्योगकर्ता उद्योग/विकास प्रकल्प हेतु, वकीलवादी
द्वारा स्थापित-पंजाबी/पञ्जाबी वकील उद्योग प्रकल्प-22A-4(3)
के अन्तर्गत अन्तर्गत दिनांक 0710-25
कोष/ए. ए.

